न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
इंतकाल अपील : 129 / 2023
तारीख रजू : 20.09.2023

निर्णय दिनाक : 23.05.2025

उनवान

1. औमप्रकाश पुत्र श्री सुमेर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड (राज.)।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती रामरति पुत्री स्व0 श्री जयनारायण, जाति–अहीर निवासी ग्राम–कायसा, तह. नीमराना, जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.) हाल पत्नी श्री सुबेसिंह यादव हाल आबाद ग्राम सिहाली, तहसील मुण्डावर, जिला–अलवर नया जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) ।
2. श्रीमती कोकली उर्फ कौशल्या पुत्री स्व0 श्री जयनारायण उम्र जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड (राजस्थान) हाल पत्नी श्री राजेन्द्र यादव, हाल आबाद ग्राम रालियावास, तहसील एवं जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।
3. श्रीमती भागमती उर्फ सोभाग्यवती पुत्री स्व0 श्री जयनारायण जाति–अहीर, निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना, जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड(राजस्थान) हाल पत्नी श्री बीरसिंह यादव, हाल आबाद ग्राम रालियावास तह. एवं जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।
4. तहसीलदार नीमराना तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड (राजस्थान)।
5. उप पंजीयक महोदय, नीमराना, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड (राजस्थान)।

—–रेसपोडेन्ट्स

6. राजकुमार पुत्र श्री प्रहलाद जाति––अहीर, निवासी ग्राम कायसा, तहसील–नीमराना, जिला–अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड (राजस्थान)।

—–तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 1912 दिनांक 14–06–2018

उपस्थित अधिवक्तागण : –
1. श्री मनिष कुमावत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री धीरज जोशी अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट्स की ओर से।

।। निर्णय ।।

1. अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 1912 दिनांकित 14–06–2018 द्वारा तहसीलदार, नीमराना बाबत आराजी खसरा नम्बर 198, 469, 470, 828, 993, 1073, 1173, 1176, 1301 वाके ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़ स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।
3. प्रकरण में वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 एक ही कुटुम्ब के सदस्य है तथा अपीलार्थी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का चचेरा भाई है जो वाके ग्राम कायसा, तहसील–नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड (राज.) का निवासी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 अपने अपने ससुराल शीर्षक में वर्णित पतों पर निवास करती है। हाल आराजी खसरा नम्बर 198 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 469 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 470 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 828 रकबा 0.88 हैक्टेयर, 993 रकबा 0.52 हैक्टयर, 1073 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1173 रकबा 0.27 हैक्टयर, 1176 रकबा 019 हैक्टेयर, 1301 रकबा 0.47 हैक्टेयर, वाके ग्राम कायसा तहसील नीमराना में स्थित है, जिसके सह खातेदार अपीलार्थी के सगे ताऊ जयनारायण पुत्र जुगलकिशोर जाति–अहीर, निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना थे। अपीलार्थी को ताऊ एवं उक्त आराजीयात के सहखातेदार श्री जयनारायण के कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ तथा केवल तीन पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 उत्पन्न हुई। इस कारण मृतक जयनारायण पुत्र जुगलकिशोर की पूरे जीवन देखभाल, सेवा सुश्रुषा दवा, दारू अपीलार्थी एवं उसके परिजनों द्वारा ही गई तथा जयनारायण के दिनांक 22–03–2018

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

को फौत होने के पश्चात उनके दाह–संस्कार, गंगोज एवं अन्य सभी धार्मिक क्रियाकर्म अपीलार्थी व उसके ताऊ के पुत्र तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या–6 राजकुमार द्वारा ही अपने खर्चे पर किये गये थे एवं मृतक जयनारायण की पुत्रियों रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 3 के समस्त भात–छुछक अपीलार्थी व उसके परिजनों तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 राजकुमार आदि द्वारा ही किये गये है एवं मृतक जयनारायण के जीवनकाल में उसके समस्त सामजिक दायित्वों का अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 राजकुमार द्वारा ही वहन किया जाता रहा है, इस कारण जयनारायण पुत्र जुगलकिशोर द्वारा अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या–6 राजकुमार एव उनके परिजनों की निस्वार्थ भाव से की जा रही सेवा सुश्रुषा, दावा दारू एवं अपनी पुत्रियों के भात–छूछक एवं मान सम्मान किये जाने से खुश होकर अपने जीवनकाल में अपनी पुत्रियों रेस्पोडेन्ट सख्या–1 लगायत 3 की सहमति से एवं उनकी उपस्थिति में अपने हक हिस्से की उपरोक्त वर्णित आराजी की विधिवत रूप से दिनांक को अपीलार्थी एव अपीलार्थी के ताऊ प्रहलाद के पुत्र तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या–6 राजकुमार के हक में संभाग रूप से रूबरू गवाहान वसीयत निष्पादित कर अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित करते हुये नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा दी तथा उसी दिन मौके पर रूबरू गवाहान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 3 की मौजूदगी में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 3 के पिता एवम् वसीयतकर्ता जयनारायण पुत्र जुगलकिशोर द्वारा अपने हक हिस्से की आराजी उपरोक्त का कब्जा संभाग में अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या–6 राजकुमार को सौंप कर मालिक काश्तकार बना दिया तथा उसी दिन से आज दिन तक अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 राजकुमार बहैसियत मालिक काश्तकार मृतक जयनारायण के हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 3 को उनके पिता जयनारायण द्वारा अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 राजकुमार के हक में उक्त वसीयत निष्पादित करने एवं मौके पर अपने हिस्से की आराजी का कब्जा सुपुर्द करने एवं उनके काबिज काश्त होने की आरम्भ से ही पूरी पूरी जानकारी रहीं है। वसीयतकर्ता जयनारायण पुत्र जुगलकिशोर, जाति–अहीर, निवासी कायसा के दिनांक 22–03–2018 को फौत होने के पश्चात अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 राजकुमार व उनके परिजनों द्वारा मृतक जयनारायण के समस्त धार्मिक क्रियाकर्म सम्पन्न करने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा मृतक जयनारायण द्वारा विधिवत रूप से अपनी पुत्रियों रेस्पोडेन्ट, संख्या 1 लगायत 3 की सहमति एवं उपस्थिती में निष्पादित वसीयत दिनांक 07–08–1999 के आधार पर मृतक जयनारायण के हिस्से की आराजी उपरोक्त का इन्तकाल अपने व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या–6 राजकुमार के हक में दर्ज करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या–4 तहसीलदार नीमराना को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट संख्या–4 द्वारा मौखिक रूप से यह भी बताया गया कि उक्त वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय से प्रोबेट लाने पर ही मृतक जयनारायण की हक हिस्से की आराजी का इन्तकाल वसीयतग्रहिता अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या–6 राजकुमार के हक में दर्ज राजस्व रिकार्ड हो सकेगा जिस पर अपीलार्थी द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवम सैशन न्यायाधीश क्रम–1 बहरोड जिला अलवर (राज.) के समक्ष प्रोबेट प्रमाण पत्र 07–08–1999 प्राप्त करने के लिये प्रोबेट प्रार्थना पत्र बउनवानी औमप्रकाश बनाम रामरति वगैरह पेश किया जो सक्षम न्यायालय उपरोक्त में विचाराधीन है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 आज दिन तक बहैसियत मालिक काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 3 का आज दिन तक कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, ना ही आज दिन कोई कब्जा है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या–4 तहसीलदार द्वारा बिना मौके की जांच किये अपने सक्षम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं वसीयत को पूरी तरह दरकिनार करते हुये बाला–बाला रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 3 के हक में वसीयतकर्ता जयनारायण का अपीलाधीन फौतगी विरासत का इन्तकाल संख्या–1912 दिनांक 14–06–2018 आरम्भ से विधि विरुद्ध खिलाफ मौका, खिलाफ वसीयत होने के कारण सरसरी तौर पर ही नल एण्ड वॉईड घोषित की जाकर शुन्य करार दिया जाना न्यायोचित है एवं उसके आधार पर दर्ज राजस्व अंकन भी बातिल एवं बेअसर करार दिया जाकर निरस्त करार दिया जाना न्यायोचित है।

अन्त में वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन इन्तकाल संख्या–1912 दिनांकित 14–06–2018 वाके ग्राम कायसा तहसील नीमराना को निरस्त करने के आदेश दिये जाकर उक्त अपीलाधीन इन्तकाल से पूर्व की स्थिति यथावत कायम करवाई जाने कि कृपा करें।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

5. वकील रेस्पोडेन्ट्स ने वकील अपीलान्ट के तर्को का खण्डन करते हुए अपनी लिखित में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जयनारायण को उपरोक्त वर्णित आराजी उसके पिता जुगला उर्फ जुगलकिशोर से विरासत में प्राप्त हुई है, जिसका नामांतकरण संख्या 78 है। इस प्रकार उक्त आराजी रेसपाडेन्ट सख्या 01 लगायत 03 की पैतृक आराजी है। कानूनन पैतृक सम्पत्ति परिवार के किसी किसी व्यक्ति को विरासत में प्राप्त होती है उसमें परिवार के लोग शामिल होते है। पैतृक सम्पत्ति पर वसीयतकर्ता का एकाधिकार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बेटे और बेटियों को पैत्रक सम्पत्ति पर समान स्वामित्व अधिकार होता है। सबसे बडा पुरूष सदस्य के पास मात्र प्रबंधन के अधिकार होते है। हिन्दू पैत्रक सम्पत्ति वसीयत के माध्यम से नहीं दी जा सकती है। उक्त वसीयत विधिवत रूप से तहरीर व तकमील नहीं की गई है और ना ही पंजीकृत है। यदि उक्त वसीयत जयनारायण द्वारा अपने होशो हवास दुरुस्ती स्वस्थ्य चित्त अवस्था में तहरीर व तकमील की जाती तो उसे अपीलार्थी व तरतीवी रेस्पाडेन्ट सख्या 6 राजकुमार अवश्य ही उपपंजीयक कार्यालय में जाकर पजीबद्व कराते जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त वसीयत कतई फर्जी एव नुमायशी है। जयनारायण द्वारा दिनाक 13-03-2007 से पूर्व कोई वसीयत औमप्रकाश व राजकुमार के हक में नही लिखी गई बल्कि नुमायशी एवं फर्जी वसीयत महज जमीन को हडप करने की मंशा से तैयार की है। जयनारायण के फौत होने पर इंतकाल दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नीमराना के समक्ष पेश किया जो मृतक जयनारायण के वारिसान की जांच व मौके पर कब्जा रिपोर्ट लेकर दिनाक 14-06-2018 को राजस्व कैम्प कायसा में इतकाल संख्या 1912 दिनाक 14-06-2018 को मृतक जयनारायण के वारिसान रेस्पाडेन्ट सख्या 1ला 3 के हक में विधिवत रूप सें दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है। यह कि यदि मृतक जयनारायण द्वारा कोई वसीयत करवायी जाती तो उस समय जयनारायण की पत्नी जीवित थी एव रेस्पाडेन्ट सख्या 1 लगायत 3 जो कि मृतक जयनारायण की पुत्रियां है, जिनकी सहमति होती और उनकी मौजूदगी में वसीयत होती और बतौर सहमति हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करती, जबकि ना तो उक्त वसीयत रेस्पाडेन्ट सख्या 1 लगायत 3 व उनकी माता के समक्ष व उपस्थिति में एव सहमति से तैयार की गई है। समस्त कार्यवाही बालाबाला षडयत्र पूर्वक जमीन को हडपने की नियत से फर्जी व नुमायशी तौर पर तैयार किया जाना पूरी तरह साबित है। यह कि अपीलार्थी औमप्रकाश द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश सख्या 1 बहरोड अलवर के समक्ष प्राबेट प्रार्थना पत्र बअनुवानी ओमप्रकाश बनाम श्रीमति रामरति वगैरा प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है तथा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र संख्या 14/2018 पेश किया जो दिनाक 13-11-2018 को अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार नामातकरण सख्या 1912 रेस्पाडेन्ट सख्या 01 लगायत 03 के हक में विधिवत मौके, कब्जे व वारिसान की विधिवत् जांच का स्वीकृत किया गया है। इस स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा दायर अपील श्रवण योग्य नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमाई जावें।

6. हमने वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन करने से जाहिर होता है कि इंतकाल संख्या 1912 दिनांकित 14-06-2018 वाके ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली-बहरोड रेस्पोडेन्टस संख्या 01 लगायत 03 के प्राकृतिक पिता जयनारायण पुत्र जुगलकिशोर की मृत्यु उपरान्त विरासत का इन्तकाल तहसीलदार नीमराना द्वारा तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट द्वारा पेश वसीयतनामा उपपंजियक से तस्दीक ना करवा कर पब्लिक नोटेरी से तस्दीक कराया गया है तथा वसीयतनामा पर विधिक वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 की सहमति भी दर्ज नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह साबित होता है कि तहसीलदार नीमराना द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 1912 दिनांकित 14-06-2018 वाके ग्राम कायसा तहसील नीमराना सही है। इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा वर्णित तथ्य प्रकरण में चस्पा नहीं होते है, जबकि वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत 03 की बहस प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होती है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

8. निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़